

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय,

.....University,

राज भवन, जयपुर - 302006

Raj Bhawan, Jaipur No. : F.40(3)RB/2023/831

Dated: 14 February, 2024

ORDER

In exercise of the powers vested in me under Section 11(1) & 11(2) of the Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur Act, 2012 in consultation with the State Government I, Kalraj Mishra, Governor of Rajasthan and Chancellor, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur hereby appoint Dr. Alok Tripathi, IPS (Retd.), Former Vice-Chancellor, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur as Vice Chancellor of Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur for a period of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

The appointment as such shall be subject to vigilance clearance from the competent authority.

Sd/(Kalraj Mishra)
Governor of Rajasthan and Chancellor

Dated: 14 February, 2024

Copy forwarded for information & necessary action to :-

- 1. Chief Secretary to Government of Rajasthan, Jaipur.
- 2. Additional Chief Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
- 3. Additional Chief Secretary to Government, Home Department, Rajasthan, Jaipur.
- 4. Dr. Alok Tripathi, IPS (Retd.), P-46, Raj Angan Society, NRI Colony, Pratap Nagar, Jaipur-302033.
- 5. Registrar, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur.

6. Officer in Charge, I.T. Cell, Raj Bhawan for uploading on the website Raj Bhawan.

(Gaurav Goyal)
Secretary to
Governor, Rajasthan



सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय,

.....University,

राज भवन, जयपुर – 302006 Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.40(३)आरबी / 2023 / 83 ।

दिनांक : 14 फरवरी, 2024

आदेश

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2012 की धारा 11(1) व 11(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. आलोक त्रिपाठी, आई.पी.एस. (से.नि.), पूर्व कुलपति, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

ं यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता० / – (**कलराज मिश्र**) राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति क्रमांक : एफ.40(3)आरबी / 2023 / हे 32

दिनांक : 14 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4. डॉ. आलोक त्रिपाठी, आई.पी.एस. (से.नि.), पी—46, राज आंगन सोसायटी, एनआरआई कॉलोनी, प्रताप नगर, जयपुर—302033
- 5. कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।

6. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को राजभवन की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(गौरव गोयल)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान